न्यायालय : माननीयराजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, ॥म0प्र0॥

प्रकरण क्र0/ /015

निगरानी 971-III-15

90
7.4.15

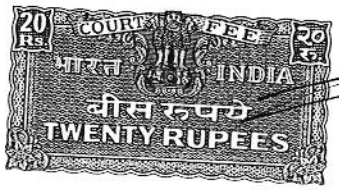

[court fee stamp: 20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES] Rs. 20/-

साधूलाल उम्र-85 वर्ष तनय स्व0 श्यामसुन्दर ब्रा0 निवासी ग्राम अमिलिया, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

----- आवेदक

श्री विजय प्रकाश द्विवेदी के द्वारा आज दिनांक 07-4-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

विरुद्ध

01- विश्वनाथ तिवारी तनय लालता प्रसाद तिवारी

02- अरविन्द कुमार तिवारी तनय रामराज तिवारी

निवासीगण ग्राम वक्छेरा, तहसील रायपुर कर्चु0 जिलारीवा वास्ते कथित समस्त ग्राम बांसी, अमिलिया वक्छेरा खरहरी, पडरा रौरा, लक्ष्मणपुर तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

------ अना0गण.

क्रमांक 4986
पोस्ट द्वारा आज 10-4-15 को प्राप्त
10-4-15
ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, तह0रायपुर कर्चु0 जिलारीवा, दिनांक 01.04.015 जो अपील प्रकरण क्र0 20-अ-6/10-11 मे पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

॥01॥ अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिनांक 01.04.015 सर्वथा विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

॥02॥ अनावेदकगण को नामांतरण पंजी क्र0-08 मे पारितआदेश दिनांक 30.09.92 के विरूद्ध अपील दायर करने का कोई हक नही था प्रथम दृष्टया

दा0 साधूलाल

निरंतर....

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-971/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	साधूलाल कार्यवाही तथा आदेश विश्वनाथ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। उन्हे प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 1-4-2015 की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। यह निगरानी मुख्य रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को विचारार्थ गुणदोष पर निर्णय हेतु प्रचलन योग्य मानने के कारण आदेश दिनांक 1-4-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनु. विभागीय अधि० द्वारा अनावेदक की धारा 5 के आवेदन पर सुना गया तथा पक्षसमर्थन का पूरा-पूरा मौका दिया गया। तत्पश्चात प्रकरण में आवेदन धारा 5 स्वीकार करने का कारण अभिलिखित करते हुए आदेश पारित किया गया। - अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने का जो निर्णय लिया है वह उचित है। वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा	

[क्र. प. उ.

R-971/III/15

स्थान तथा दिनांक	साधूलाल कार्यवाही तथा आदेश विश्वनाथ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गुणदोष पर आदेश पारित न कर मात्र धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को प्रचलन योग्य मानते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया जाकर उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के अवसर प्रदान किए गये हैं इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश से वर्तमान मे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए होना परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहां वे अपना पक्ष रख सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 1-4-15 स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संहिता मे निहित प्रावधानों के अनुसरण में गुणदोष पर नीतिगत निर्णय पारित करें। परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टया निगरानी उपरोक्त निर्देशों के साथ इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०द० हो। (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	